अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

गोपनीय

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
NAACA++ Accredited: ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांकः—रू०वि० / रासेयो / 2025 / 1140 – 1145 दिनांकः—17.01.2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / कार्यक्रम अधिकारी,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (रा०से०यो०),
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषयः—राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा CNA खातों में विविध धनराशि जमा न करने अथवा आहरण चेक / कैश से न किये जाने तथा केवल PFMS के अलावा किसी भी अन्य प्रकार से लेन—देन की अनुमति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग—03, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—490 / सत्तर—रा0से0या0को0—2024, दिनांक 09 नवम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कि विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों का भारत सरकार के निर्देशानुसार ZBSA Current Account (Zeero Balance) भारतीय स्टेंट बैंक में खाते खुलवाये गये थे।

अतः उक्त क्रम में विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा सत्र 2023 में खोले गये ZBSA Current Account (Zeero Balance) खातों को **ZBSA Current Account, Product Code – 5111-2171** में मैप कराना हैं। ताकि शासन द्वारा प्राप्त अनुदान को आपके खाता ZBSA Current Account (Zeero Balance) में प्रेषित किया जा सकें। अतः अपने **ZBSA** खाते को **प्रोडक्ट कोड 5111–2171** में मैप कराकर तत्काल इस कार्यालय की ई—मेल आई0डी0 nssmjprubly@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोटः—सूच्य है कि जिन विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों द्वारा अपने ZBSA Current Account (Zeero Balance) खातें को ZBSA Current Account, Product Code – 5111-2171 में मैप नही कराया जाता है तो विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों द्वारा अपने खाते में प्रोडक्ट कोड मैप ना कराने की स्थिति में उन्हें अनुदान जारी नही हो पायेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

भवदीय

/

प्रो0 सोमपाल सिंह
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव के संज्ञानार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5. बेवसाइट प्रभारी को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

18/01/25

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना